PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

JIND CIRCLE, JIND

CORRIGENDUM

The December, 1986

In the *Haryana Government Gazette*, dated 28th Jauuary, 1986, Part I at pages 233-234, under Notification No. 425, dated 30th December, 1985, in the spccification under column locality may be read as "Basodi H. B. No. 25" in place of Basodi Khurd H. B. No. 25.

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Jind Circle, P.W.D., B. & R. Branch, Jind.

लोक निर्माण विभाग

भवन तथा मार्ग शाखा

जीन्द वृत, जीन्द

शुद्धि-पत्र

दिनांक 1 दिसम्बर 1986

हरियाणा सरकार राजणत्र भाग I, दिनांक 28 जनवरी, 1986 के पृष्ठ संख्या 236 पर अधिसूचना संख्या 425, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 के विशिष्ट में 'परिक्षेत्र' स्तम्भ के नीचे बसौदी खुर्द ह० नं० 25 के स्थान पर बसौदी ह० नं० 25 पढ़ें।

(हस्ताक्षर) . . .,

अधीक्षक अभियन्ता

जीन्द वृत लो० नि० बि भ० तथा स० शाखा

जीन्द।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS & ROADS BRANCH

CORRIGENDUM

The 11th December, 1986

At Sr. No. 1, in Para I of Haryana Government Notification No. 10/30 B. & R. (E) 5-86, dated 24th October, 1986, the name of the officer shall be read "Ranbir Singh" in stead of "Randhir Singh".

KIRAN AGGARWAL,

Commissioner and Secretary to Government
Haryana, P.W.D., B. & R. Branch.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफ.डी./117-86/46763.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० न्यु कास्टींग प्लाट नं० 363-ए, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक महासचिव न्यु कास्टींग वर्करज यूनियन, जी-162, इन्दिरा नगर सैक्टर-7, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

दिनांक 16 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/72-86/46420.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० कास्ट-ई-कुला प्लाट नं० 108, सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक महासचिव कास्ट-ई-कुला इम्पलाईज यूनियन 1ए/119 एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या मै० कास्ट-ई-कुला प्लाट नं० 108, सैक्टर 6 फरीदाबाद द्वारा दिनांक 20 जून, 1986 से संस्था बन्द करने की कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं, तो श्रमिक किस राहत के हकदार है ?

कुलबन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफ.डी./167-86/46756.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० बी० एच० इण्डस्ट्रीज प्लाट नं० 98, सैक्टर-24 फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम बरन सिंह मार्फत भारतीय मजदूर संघ विश्वकर्मा भवन, नीलम वोटा रोड, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रत मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रामबरन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/99-86/46770.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि चैयरमैन मार्किट कमेटी, पलवल, के श्रमिक श्री योगेश चन्द्र शर्मा, पुत्र श्री गोकुल प्रसाद शर्मा, मार्फत 499, सैक्टर-16, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण;

हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री योगेश चन्द्र शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/174-86/46790.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री दशमेश इन्जिनियरिंग एण्ड फैब्रीकेटरस 1 ए-1, गुरुद्वारा रोड, जवाहर कालोनी, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राजकुमार शर्मा, पुत्र श्री हवालदार शर्मा मार्फत हिन्द मजदूर सभा 29 शहीद चौक, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम. की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राजकुमार शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 16 दिसम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/यमुना/57-86/47337.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०, गोपाल यूनिट यमुनानगर, के श्रमिक श्री राज, पुत्र श्री राम अवार भाटिया, मकान [illegible] गली, संगत राम यमुनानगर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/यमुना/121-86/47343.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (i) नगरपालिका जगाधरी (ii) उपायुक्त, अम्बाला, के श्रमिक श्री सुरिन्द्र सिंह, पुत्र श्री धर्म सिंह, मकान नं० 833, वार्ड नं० 2, पटरी मोहल्ला, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/182-86/47353.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० टैक्सोर इण्डिया लि०, प्लाट नं 99, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री कालिका प्रसाद मार्फत श्री अमर सिंह, लेबर यूनियन आफिस, अपोजिट गवर्नमेंट

गर्ल्ज मिडल स्कूल नं० I, एन.आई.टी. फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री कालिका प्रसाद की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर होकर नौकरी से पूर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०II/186-86/47360.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. सुमन इंजीनियरिंग वर्कस, प्लाट नं० 357, सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री जीत सिंह, पुत्र श्री सिंह राम, गांव मुज्जेसर, पोस्ट आफिस, सैक्टर 22, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री जीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/186-86/47400.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) कैप्टन एम. एस. चीनी ठेकेदार मार्फत मै० ओरियन्टल स्टाफ कालिज सैक्टर 11, बाटा मोड़, फरीदाबाद (2) मैनेजिंग डायरेक्टर, ओरियन्टल स्टाफ कालिज सैक्टर 11, बाटा मोड़ फरीदाबाद के श्रमिक श्री तेजपाल, पुत्र श्री किशन लाल मार्फत कामगार यूनियन, 2/7 गोपी कलोनी, पुराना फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री तेजपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/90-86/47408.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० भारत बूलन मिल्ज, वीवर्ज कालोनी, जी.टी. रोड पानीपत, के श्रमिक श्री जिले सिंह, पुत्र श्री बिशन दत्त मार्फत इंजीनियरिंग एण्ड टैक्सटाईल वर्कर्ज यूनियन पानीपत तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय करना वांछनीय समझते हैं; हेतु निर्दिष्ट

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जिले सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?